प्रेस विज्ञप्ति
19/02/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 17.02.2025 को स्वर्गीय अमित भारद्वाज की 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई, यूएई के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा मेसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में 10% प्रति माह रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोले-भाले लोगों से बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था। एकत्र किए गए बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन माइनिंग के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं।

इससे पहले इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए गए थे और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम सिम्पी भारद्वाज को 17.12.2023, नितिन गौड़ को 29.12.2023 और निखिल महाजन को 16.01.2023 को गिरफ्तार किया गया था।

मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। इससे पहले ईडी ने 172 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। अभियोजन शिकायत 11.06.2019 को और पूरक अभियोजन शिकायत 14.02.2024 को दायर की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने इसका संज्ञान लिया है।

ईडी ने विदेशों से भी सहायता मांगी है क्योंकि पीओसी से प्राप्त धन विदेश चला गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।